राजस्थान सरकार

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

18 AUG 2026

क्रमांकः- प.17 (02) / नविवि / अभियान / 2026 जयपुर, दिनांक......

आदेश

नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेश क्रमांक भूमि / एफ.7(ड) (शा. से.शि.) / डीएलबी / 2026 / 3651 दिनांक 10.06.2026 एवं समय-समय पर जारी स्पष्टीकरण द्वारा नागरिकों को प्रदत्त सेवाओं के शीघ्र निस्तारण हेतु शहरी सेवा शिविर-2026 के संबंध में आदेश जारी किये गये हैं।

उक्त आदेशों की निरन्तरता में सम्यक मुद्रांकित दस्तावेजों (मुख्तारनामा, गिफ्ट डीड) के आधार पर नाम हस्तांतरण एवं अहस्तानान्तरणीय पट्टों के नाम हस्तांतरण निम्नानुसार किया जावें:-

1. नगर विकास न्यास/विकास प्राधिकरण/निकायों द्वारा जारी किये गये पट्टों के उपरान्त नाम हस्तांतरण के जिन प्रकरणों में आदेश दिनांक 08.01.2020 व अधिसूचना 15.01.2020 में उल्लिखित दस्तावेज एवं सम्यक मुद्रांकित दस्तावेजों (मुख्तारनामा, गिफ्ट डीड) के आधार पर नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जावें। जिनमें पट्टा जारी होने से पूर्व आवंटन के आधार पर विक्रय हुआ है उनमें वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 10.07.2024 व एवं दिनांक 12.09.2024 में जारी निर्देशों की पालना करते हुए निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाकर व निर्धारित राशि लेकर नाम हस्तांतरण/पट्टे की कार्यवाही की जावें।
2. कच्ची बस्ती के प्रकरणों में बजट घोषणा 2022-23 के बिन्दु संख्या 40 के तहत जारी आदेश 29.06.2022 के मद्देनजर पूर्व में जो पट्टे अहस्तानान्तरणीय की शर्त पर जारी किये गये थे व पट्टे जारी करने की दिनांक से 3 वर्ष पश्चात हस्तांतरण हो सकेंगे। इसके अन्तर्गत मूल पट्टेदार से भूखण्ड का कितनी ही बार पंजीकृत विक्रय पत्रों से विक्रय हुआ हो, अंतिम क्रेता से भूमि निष्पादन नियम-1974 में निर्धारित दर से राशि लेकर हस्तांतरित भूखण्ड का नामान्तरण निकाय के रिकॉर्ड में किया जा सकेगा।
3. कच्ची बस्ती के अतिरिक्त अन्य प्रकरणों में अहस्तानान्तरणीय पट्टों के नाम हस्तांतरण जिन शर्तों पर अहस्तानान्तरणीय पट्टा जारी किया गया है, उन शर्तों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(जुइकर प्रतीक चन्द्रशेखर)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

18/8/26
(रवि विजय)
शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. अतिरिक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग,राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
6. आयुक्त, विकास प्राधिकरण, समस्त राजस्थान ।
7. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. सरकार,जयपुर।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान/एन.सी.आर./स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
9. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान ।
10. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान ।
11. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, राजस्थान, जयपुर।
12. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त राजस्थान ।
13. उप शासन सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. समस्त क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान ।
15. समस्त प्रशासक, नगर निगम/ परिषद/पालिका, राजस्थान ।
16. समस्त आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद ध्पालिका,
17. समस्त जोन उपायुक्त, नगर निगम, जयपुर/कोटा/जोधपुर।
18. नविवि, स्वा.शा. एवं हाउसिंग बोर्ड के समस्त अधिकारीगण ।राजस्थान ।
19. जनसम्पर्क अधिकारी, नगरीय विकास विभाग, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान ।
20. प्रभारी अधिकारी, आई.टी.सैल, नगरीय विकास विभाग, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान ।
21. रक्षित पत्रावली।

18/8/26

उप शासन सचिव– प्रथम